संशोधन

संख्या: 103 /2024/ 718 /चार-2024

प्रेषक,

रघुनाथ प्रसाद वर्मा,
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
संस्कृति निदेशालय, उ0प्र0,
जवाहर भवन, लखनऊ।

संस्कृति अनुभाग: लखनऊ: दिनांक 20 फरवरी, 2024

विषय: आर्य गुरूकुल महाविद्यालय, सिरसागंज, फिरोजाबाद तथा गुरूकुल महाविद्यालय, ततारपुर, हापुड़ के छात्र-छात्राओं हेतु वाद्ययन्त्र जेम पोर्टल के माध्यम से क्रय किये जाने की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान किये जाने विषयक शासनादेश दिनांक 27 सितम्बर, 2023 में संशोधन।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या- 285 /2023/ 3993 /चार-2023 दिनांक 27 सितम्बर, 2023 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2- इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उक्त शासनादेश संख्या- 285 /2023/ 3993 /चार-2023 दिनांक 27 सितम्बर, 2023 में आंशिक संशोधन करते हुए शासनादेश संख्या- 285 /2023/ 3993 /चार-2023 दिनांक 27 सितम्बर, 2023 के प्रस्तर-2 में 'लेखाशीर्षक-2205-कला एवं संस्कृति-आयोजनेत्तर-800- अन्य व्यय -15- लोक कलाकारों को वाद्ययंत्र हेतु अनुदान- 40- सहायता अनुदान-सामान्य (गैर वेतन) मद' के स्थान पर 'लेखाशीर्षक-2205-कला एवं संस्कृति-आयोजनेत्तर-800- अन्य व्यय -15- लोक कलाकारों को वाद्ययंत्र हेतु अनुदान- 20- सहायता अनुदान-सामान्य (गैर वेतन) मद' पढ़ा जाये।

3- उक्त शासनादेश संख्या- 285 /2023/ 3993 /चार-2023 दिनांक 27 सितम्बर, 2023 इस सीमा तक संशोधित समझा जायेगा। शेष शर्तें यथावत् रहेंगी।

भवदीय,
रघुनाथ प्रसाद वर्मा
अनु सचिव।

संख्या- 103 /2024/ 718 (1) /चार-2024 तद्दिनांक

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- महालेखाकार (लेखा व हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
2- महालेखाकार (लेखा - परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
3- निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, उ0प्र0 प्रयागराज।
4- वित्त नियंत्रक, संस्कृति निदेशालय, उ0प्र0 जवाहर भवन, लखनऊ ।
5- मुख्य कोषाधिकारी, कोषागार, जवाहर भवन, लखनऊ।
6- वित्त व्यय नियंत्रण अनुभाग-7/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/नियोजन अनुभाग-4, उ0प्र0 शासन।
7- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
रघुनाथ प्रसाद वर्मा
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in